



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD

14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001

सं०- 60 / उनिलि / रिफार्म / पाली नीति / 09-10

दिनांक: 23 / 03 / 2010

कार्यालय ज्ञाप


कार्यालय ज्ञाप सं० 232 / उनिलि / रिफार्म / मा०सं० नीति / पाली नीति दिनांक 19.02.2009 द्वारा जारी पाली नीति संबंधी कार्यालय ज्ञाप में आंशिक संशोधन करते हुए तापीय विद्युत गृहों पर कार्यरत अवर अभियन्ताओं की पाली कार्यों की समय अवधि 06 वर्ष से कम करके 05 वर्ष किये जाने का आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ किये जाते हैं कि:-

- 1- पाली कार्य में प्रतिस्थानी की तैनाती के उपरांत ही संबंधित अवर अभियन्ता को अवमुक्त किया जाये।
- 2- एक वित्तीय वर्ष में पाली में तैनात कुल अवर अभियन्ताओं के 50. प्रतिशत से ज्यादा अवर अभियन्ता एक साथ पाली से न निकाले जायें।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उनिलि के निजी सचिव।
2. निदेशक (तकनीकी), उनिलि के निजी सचिव।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, उत्पादन निगम लिमिटेड।


(राजीव गोयल)
मुख्य अभियन्ता (मा०सं०)